राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

अ.जा./ज.जा./अ.पि.व./अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

बी–ब्लाक, द्वितीय तल, विकास भवन, आई0 पी0 एस्टेट, नई दिल्ली–110002

अतारांकित प्रश्न संख्या – 247

दिनांक – 09/08/2018

प्रश्नकर्ता – श्री आदर्श शास्त्री

क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
क	क्या यह सत्य है कि अनु.जाति/अनु.जन जाति कल्याण विभाग ने मेन सागरपुर में एक बारातघर का निर्माण किया है;	जी हाँ। इस विभाग द्वारा ईस्ट सागर पुर में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के माध्यम से बारातघर का निर्माण करवाया गया है।
ख	क्या यह भी सत्य है कि सरकार ने दिनांक 18/09/2015 को एसडीएम (द्वारका) के आदेश के द्वारा इसके रखरखाव, साफ–सफाई तथा तिथियों के आबंटन/बुकिंग आदि में ब्लाक डेवलपमेंट अधिकारी (दक्षिण पश्चिम) की सहायता हेतु पहले ही नागरिकों के एक ग्रुप का गठन किया है;	जी, नहीं (राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर)।
ग	क्या नागरिकों के उक्त ग्रुप ने बारातघर का चार्ज ले लिया है, यदि नही तो कारण बताएं;	उत्तर संख्या ख के संदर्भ में लागू नहीं (राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर)।
घ	इस संबंध में स्पष्ट नीति होने के बावजूद सरकार उस बारात घर का कब्ज़ा अभी तक क्यों नहीं ले सकी है;	इस विभाग द्वारा चौपालों तथा समुदायिक भवनों के रखरखाव से संबधित नई मार्गदर्शिका जारी की गई है क्योंकि इस चौपाल का भू–स्वामित्व दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड का है इसीलिए नई मार्गदर्शिका के अनुसार दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को उपरोक्त बारात घर का प्रबंधन अपने अधीन लेने हेतु पत्र जारी किया जा चुका है।
ड़	क्या उक्त बारातघर के संबंध में कोई मुकदमा चल रहा है,	जी, हॉ (राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर)।
च	यदि हां, तो उसका विवरण दें; और	राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर उपरोक्त बारातघर के संबंध में मुकदमा सिविल सूट संख्या 228/2015, पटियाला हाऊस कोर्ट में चल रहा है।
छ	इस बारातघर से संबंधित मुकदमें के लिए अब तक वकीलों को कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है व इसकी कितनी सुनवाइयां हो चुकी हैं?	राजस्व विभाग, दिल्ली सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार कुछ भी भुगतान नहीं हुआ है, अब तक कुल 18 सुनवाईयां हुई है।

(संयुक्त निदेशक)
डीएससीएटी

A.K. SRIVASTAVA
Joint Director
Deptt. for the Welfare of
SC/ST/OBC (GNCTD)
Vikas Bhawan, New Delhi-02